दिनांक-30.01.2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

गंदगी फैलाने वालों पर उड़नदस्ता ने लगाया 3000 जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज केम्प-1 वार्ड 20, नेहरू चौक वार्ड 19 सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक , डिस्पोजल, पानी पाउच तथा सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 13,500 रूपए के अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले से जुर्माना लेते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक , डिस्पोजल व पानी पाउच का व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने केम्प- 1 वार्ड 20, नेहरू चौक वार्ड 19 के अंतर्गत उड़नदस्ता की टीम ने किराना दुकान , बाजार, होटल व नास्ता सेंटर में पानी पाउच व डिस्पोजल गिलास का विक्रय करने करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। जोन 02 क्षेत्र अंतर्गत राजेश सीमेंट वाले द्वारा सड़क बाधा करने वाले से अर्थदंड लिया गया। निगम की उड़नदस्ता टीम ने वर्मा डेली नेहरू चौक केम्प- 1 के यहां से एक्सपायर हो चुकी 4 कोल्ड्रिंक्स की बोतल एवं 4 बोरी पाउच जप्त करते हुए 7000 रूपए का जुर्माना लिया गया। इसी प्रकार देवांगन किराना स्टोर्स नेहरू चौक से 3 पैकेट डिस्पोजल गिलास विक्रय करते एवं गंदगी फैलाने पर 500 रूपए, वार्ड 14 के दिनेश यादव द्वारा क्षेत्र के शमशान घाट के पास गंदगी फैलाने पर 3000 रूपए जुर्माना वसूला गया। राजेश सीमेंट द्वारा सामान फैलाकर व्यवसाय करने पर 3000 रूपए सड़क बाधा शुल्क लिया गया एवं व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करने की समझाइश दी गई।

जनसम्पर्क अधिकारी